न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र.   /2015

मथुरा प्रसाद साहू पिता श्री रामेश्वर प्रसाद साहू, निवासी कोतमा, थाना व तहसील कोतमा पोस्ट कोतमा जिला, अनूपपुर (म.प्र.)
------आवेदक

श्री विनोद भार्गव, अधिवक्ता द्वारा आज दि. 26/10/15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 26/x/15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. बंसत कुमार तिवारी पिता स्व. श्री संतराम तिवारी
2. मुस. तिजियाबाई पत्नी स्व0 श्री संतराम तिवारी
   दोनो निवासी कोतमा, थानाव तहसील कोतमा जिला, अनूपपुर (म.प्र.)
3. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर तहसील कोतमा,जिला अनूपपुर (म.प्र.)

---अनावेदकगण

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
26-10-2015

न्यायलय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र., ग्वालियर द्वारा निगरानी प्रकरण क्र. 1660–2/2015 में पारित आदेश दिनांक 11/09/2015 के विरूद्ध म.प्र. भूराजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन

माननीय महोदय,

आवदेक का पुनर्विलोकन निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, ग्राम कोतमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर, में स्थित भूमि सर्वे क्र. 616/1 के अंश भाग रकबा 0.016 हैक्टयर एवं 616/2 के अंशभाग 0.154 हैक्टयर कुल किता 2 कुला रकबा 0.170 हैक्टयर आवेदक एवं दो अन्य व्यक्ति कमशः रामकुमार शर्मा, इश्वर दीन साहू रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा क्रय की गयी थी। तद्उपरांत तीनो व्यक्तियों के मध्य भूमि का पंजीकृत विभाजन दिनांक 30/09/1999 को उपपंजीयक, कोतमा के समक्ष हुये विभाजन अनुसार खसरा न. 612/2 के अंश भाग 0.043 हैक्टयर आवेदक को प्राप्त हुआ जिसका विधिवत नामांतरण आवदेक के पक्ष में स्वीकार किया गया। तदअनुसार राजस्व अभिलेख में भूमि सर्वे न. 616/2/ख रकबा 0.043 हैक्टयर का नामांतरण आवेदक के पक्ष में स्वीकार किया जाकर निरंतर राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी स्वतः एवं आधिपत्य के रूप में दर्ज चली आ रही है।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.....पुनरावलोकन..3476–तीन/2013 .....जिला.....**अनूपपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/12/15	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। राजस्व मण्डल के प्र0क0 1660–II/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–9–15 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रार्थी अभिभाषक ने तर्क दिया तथा पुनरावलोकन के आधारों में बताया गया है कि तहसीलदार के समक्ष सीमांकन प्रकरण में आपत्ति 11–4–02 को आवेदक ने प्रस्तुत नहीं की है अपितु अनुरुद्ध ने की है जिसके कारण उसे तहसीलदार के आदेश दिनांक 11.4.02 की जानकारी नहीं थी। इसलिये पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार किया जाय। **(इस बिन्दु पर विचार करने से परिलक्षित है आवेदक ने निगरानी में एंव पुनरावलोकन आवेदन में स्वयं् स्वीकार किया है कि वह सीमांकित भूमि का मेढ़िया कास्तकार है)** तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि अनावेदक के सीमांकन हेतु आवेदन पर दि. 2.11.01 को प्रकरण क्रमांक 18/01–02 अ 12 दर्ज किया जाकर राजस्व निरीक्षक से सीमांकन रिपोर्ट मांगी है एंव आगामी पेशी 23.1.02 को अनुरुद्ध कुमार ने सीमांकन कार्यवाही न करने की आपत्ति की है।	

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक.....पुनरावलोकन..3476–तीन/2013 .....जिला.....अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	राजस्व निरीक्षक से आगामी पेशी 30.1.02 को सीमांकन उपरांत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है किन्तु एक अन्य आपत्तिकर्ता की भी आपत्ति आ जाने से तहसीलदार ने पेशी 20.2.12 को निर्णय लिया है कि राजस्व निरीक्षक सभी मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देकर पुनः सीमांकन करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके वाद राजस्व निरीक्षक ने मौके पर दुवारा पहुंचकर सीमांकन करके रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो पेशी 11.4.02 को तहसीलदार को प्राप्त हुई है । भूमि का मौके पर दो बार सीमांकन हुआ है तथा राजस्व निरीक्षक ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना भी दी है । ग्रामीणों के समक्ष एंव मेढ़िया कास्तकारों के समक्ष सीमांकन किया गया है तब यह नहीं माना जा सकता कि आवेदक के मेढ़िया कास्तकार होते हुये ग्राम में राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व सूचना देकर पहुंचने की जानकारी आवेदक अथवा उसके किसी परिजन को न हुई हो। अनिरूद्ध के अतिरिक्त अन्य आपत्तिकर्ता कौन है यह भी आवेदक ने स्पष्ट नहीं किया है। 3/ जहां तक प्रकरण कमांक 1660–II/2015 निगरानी में अंकित समस्त आपत्तियों का निराकरण न	

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.....पुनरावलोकन..3476–तीन/2013 .....जिला.....**अनूपपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	होने वावत् पुनरावलोकन हेतु लिये गये आधार का प्रश्न है ? आदेश दिनांक 11–9–15 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि निगरानी 13 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत हुई है एंव विलम्ब क्षमा करने हेतु जो कारण बताये गये हैं जिनमें ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे 13 वर्ष के विलम्ब को क्षमा किया जा सके। आपत्तिकर्ता अनिरूद्ध व्दारा की गई आपत्ति के वाद तहसीलदार व्दारा पुनः सीमांकन कराया गया है तथा पुनः सीमांकन की जानकारी आवेदक को नहीं हुई, इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका। अतएव आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी समय–वाह्य होने से निरस्त की गई है। यदि आवेदक सीमांकन कार्यवाही से स्वयं् की भूमि प्रभावित होना मानता है तब वह स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है, उक्त आधार पर प्रकरण क्रमांक 1660–II/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–9–15 को पुनरावलोकन में लेने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। सदस्य	